



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273948
CG-DL-E-30062026-273948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948

No. 175]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

मामला सं.-एडी (एमटीआर)-03/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के उत्पाद क्षेत्र तक सीमित मध्यावधि समीक्षा का अंतिम जांच परिणाम।

फा.सं. 7/13/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावली, 1995" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मैसर्स वेदांता लिमिटेड (जिसे इसके बाद "याचिकाकर्ता" या "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (आयातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण और

क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार यह स्पष्ट करने के लिए अधिसूचना संख्या 6/13/2021-डीजीटीआर दिनांक 23.09.2022 के द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की जांच करने तक सीमित, कि चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एचईएसपीएल (हंटिंग एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा पेटेंट की गई "सील-लॉक एक्सडी" प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित प्रीमियम थ्रेडिंग वाले कार्टिंग और ट्यूबिंग (जिसे बाजार में ओसीटीजी के रूप में जाना जाता है) विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है।

2. और जबकि अधिसूचना सं. 6/13/2021 - डीजीटीआर दिनांक 23.09.2022 में 6 एनपीएस तक और उसके सहित व्यास वाले "स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप या अन्य इकाई माप में इसके तुलनीय, चाहे हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित हो और चाहे हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइप और ट्यूब के रूप में बेचे जाएं, जिसमें दोषपूर्ण, गैर-प्राइम या माध्यमिक ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध सामान शामिल हैं" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) और जो चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैं और जिन पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 31/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.12.2022 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था, के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।
3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, उत्पाद क्षेत्र के पुनः निर्धारण/स्पष्टीकरण तक सीमित, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/13/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 26 जून, 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ख. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन.गण. के दूतावास को संबद्ध जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया और उनसे संबद्ध निर्यातकों/उत्पादकों को इसके बारे में सूचित करने का अनुरोध किया।
- ग. प्राधिकारी ने मूल जांच में घरेलू उद्योग को अगोपनीय याचिका की प्रतियां उपलब्ध कराईं।
- घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार प्रचालित की।
- ङ. चूंकि याचिका विचाराधीन एक निश्चित प्रकार के उत्पाद को बाहर करने के सीमित उद्देश्य के लिए है, अतः प्राधिकारी को पाटन और क्षति के मात्रा का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जांच की अवधि का निर्धारण आवश्यक नहीं है।
- च. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए दावों को सत्यापित करने के लिए आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की यथासंभव जांच की। आवश्यक समझे जाने पर आवेदक और घरेलू उद्योग से और भी सूचना मांगी गई। जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी गई सीमा तक आवेदक के आंकड़ों और दावों का सत्यापन किया गया था।
- छ. जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक, घरेलू उद्योग के आंकड़ों और दावों का सत्यापन भी किया गया था।
- ज. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 11 अगस्त, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में जिन पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत किए उनसे अनुरोध किया गया था कि वे

मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।

- झ. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने मामले के आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया जो 14 नवंबर 2025 को एक प्रकटन विवरण के रूप में अपने जांच परिणाम का आधार बनेगा और हितबद्ध पक्षकारों को 21 नवंबर 2025 तक टिप्पणी करने का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों पर संगत सीमा प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और उन्हें इस जांच परिणाम में हल किया गया है।
- ञ. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 10 मार्च 2026 को एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त अपने विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध दायर करें।
- ट. मौजूदा जांच के दौरान अथॉरिटी ने जांच से जुड़ी जरूरी जानकारियां इकट्ठा कीं और उनका विश्लेषण किया। इन जानकारियों को संबंधित पक्षों के सामने रखा गया ताकि वे इन पर अपनी राय दे सकें।
- ठ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

5. आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. मूल जांच में केवल हॉट एक्सट्रूज़न या पियर्सिंग द्वारा बनाए गए सीमलेस स्टेनलेस पाइप और ट्यूब शामिल थे और सीएलएक्सडी (एसएलएक्सडी) प्रक्रिया से बनाए गए ओसीटीजी पाइप शामिल नहीं थे।
- ii. थ्रीडिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह सीलिंग क्षमता और ड्रिलिंग में सामना किए जाने वाले उच्च दबाव और संक्षारण के प्रतिरोध को बढ़ाता है। इसके कारण, संबद्ध उत्पाद को कट आकार और आयाम आदि के लिए विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार आयात किया जाता है।
- iii. संबंधित उत्पाद कीमत, भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों, अंतिम प्रयोग और तकनीकी विशिष्टताओं के संदर्भ में मूल जांच द्वारा कवर किए गए उत्पादों से भिन्न हैं, और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से न तो तकनीकी रूप से और न ही वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- iv. जिंदल एसएडब्ल्यूपी लिमिटेड (जेएसएल) को वाणिज्यिक ऑर्डर 2022 में जांच की अवधि के बाद दिए गए थे। मूल पाटनरोधी जांच की जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध उत्पाद का कोई घरेलू निर्माता नहीं था।
- v. उत्पाद क्षेत्र में ओसीटीजी को शामिल करने से, जो जांच की अवधि के दौरान घरेलू स्तर पर नहीं बनाया गया था, जिंदल साँ लिमिटेड के लिए एकाधिकार पैदा हो जाएगा जो एकमात्र स्थानीय उत्पादक है।
- vi. एसएलएक्सडी के साथ ओसीटीजी का उत्पादन करने के लिए मूल जांच की जांच की अवधि के दौरान जिंदल एसएडब्ल्यूपी लिमिटेड के पास लाइसेंस या एपीआई प्रमाणन नहीं था। चंदन स्टील और टुबासेक्स प्रकाश से प्राप्त प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि 2022 तक ओसीटीजी को घरेलू स्तर पर पेश नहीं किया गया था और यह स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप और ट्यूबों से अलग है।
- vii. 2017 से 2021 के दौरान उत्पाद की कोई सिद्ध वाणिज्यिक उपलब्धता नहीं है। सील-लॉक थ्रेडिंग प्रक्रिया के लिए एकमात्र घरेलू लाइसेंस मार्च-अप्रैल 2022 में प्राप्त किया गया था, यानी मूल जांच की जांच की अवधि के बाद। इस प्रकार, उत्पाद मूल उत्पाद क्षेत्र का हिस्सा नहीं बन सकता था, यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादकों को जांच की अवधि के बाद लाइसेंस मिला, जो परिवर्तित परिस्थितियों को दर्शाता है।
- viii. जेएसडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक रिकॉर्ड केवल सूचीबद्ध मूल्य को दर्शाते हैं और 2022 से पहले की अवधि के लिए उत्पादन का प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, जेएसडब्ल्यू द्वारा दायर उत्पादन आंकड़े

स्टील ट्यूबों और पाइपों के आवरण और ट्यूबिंग से संबंधित हैं, विशेष रूप से सील-लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके प्रीमियम-थ्रेडिंग ओसीटीजी के साथ केसिंग और ट्यूबिंग से नहीं।

- ix. जिंदल द्वारा प्रीमियम-थ्रेडेड उत्पादों का घरेलू उत्पादन और बिक्री 2020-21 में 100 एमटी, 2021-22 में 85 एमटी और 2022-23 में 29 एमटी थी। इसके अतिरिक्त, मूल जांच में जांच परिणाम यह बताते हैं कि पिछले वर्षों, 2017-2020 के लिए कोई आंकड़े नहीं हैं। इस प्रकार, क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से नया था और मूल जांच से बाहर था। संबंधित उत्पाद वाणिज्यिक रूप से तैयार नहीं था या आयातित उत्पाद के साथ तकनीकी रूप से परस्पर परिवर्तनीय नहीं था, और ऑक्सो अल्कोहल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट निर्णय के अंतर्गत, गैर-परस्पर परिवर्तनीय उत्पाद पाटित उत्पाद नहीं माने जा सके।
- x. माप से संबंधित कठिनाईयों हैं और जिंदल सॉ लिमिटेड द्वारा संबंधित उत्पाद की केवल सीमित आपूर्ति है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में इसे शामिल करने के लिए उत्पाद की वाणिज्यिक आपूर्ति की आवश्यकता है।
- xi. जिंदल सॉ लिमिटेड ने वेदांता द्वारा 2022 में जारी वैश्विक निविदा के लिए आवेदन नहीं किया है, जो आपूर्ति की बाधाओं को दर्शाता है।
- xii. मूल जांच में अंतिम जांच परिणामों के पैरा 128 में संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य 2.3 लाख रु. प्रति एमटी से 2.84 लाख रु. प्रति एमटी दर्ज किया गया है, जबकि घरेलू उद्योग ने कहा है कि संबद्ध उत्पाद की कीमत 8 लाख रु. प्रति एमटी से 9 लाख रु. प्रति एमटी है। उच्च कीमत पर आयात से पता चलता है कि उत्पाद का पाटन नहीं किया गया है और उन पर शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
- xiii. पहले घरेलू उत्पादन के बाद भी ओएनजीसी, अन्य क्रेताओं ने निष्पादन, तकनीकी और पेटेंट लाइसेंसिंग संबंधी मुद्दों के कारण संबंधित उत्पाद की खरीद के लिए छूट मांगी, यह भारत में आपूर्ति बाधाओं को उजागर करता है।
- xiv. संयुक्त राज्य अमेरिका अलग से और मानक ओटीजीसी पाइपों पर शुल्क निर्धारित और लागू करता है।
- xv. एसएलएक्सडी प्रक्रिया मूल रूप से ट्यूब की कार्यात्मक क्षमता को बदल देती है। मूल जांच अवधि के दौरान ओटीजीसी पाइपों का उत्पादन नहीं किया गया था।
- xvi. जिंदल एसएडब्ल्यू लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद ओसीटीजी पाइपों के निर्माण के लिए एक संविदा हासिल की।
- xvii. यह दावा कि ओएनजीसी भारतीय उत्पादकों से नियमित और लगातार खरीदार रहा है, झूठा है। जांच की अवधि से पहले और उसके दौरान ओएनजीसी और ओआईएल की खरीद के रिकॉर्ड से पता चलता है कि घरेलू स्रोतों से आवश्यक उत्पाद की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए आयात किया गया था।
- xviii. यदि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होती है, डीजीटीआर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करता है। चूंकि जांच की अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद का उत्पादन भारत में नहीं किया गया था, इसलिए उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।
- xix. इस क्षेत्र के अंतर्गत ओटीजी को शामिल करने से एकल घरेलू उत्पादक को एकाधिकार देना होगा, यह व्यापार उपचार उपायों का आशय नहीं है।
- xx. दोनों उत्पादों के लिए एचएस वर्गीकरण अलग है। मूल जांच के अंतर्गत आने वाले संबद्ध सामानों के लिए एचएस कोड एचएस 7304 11, तेल और गैस पाइपलाइनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की पाइप है, जबकि संबंधित उत्पाद एचएस 7304 22, तेल या गैस के लिए ड्रिलिंग में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की केसिंग, ट्यूबिंग और ड्रिल पाइप के अंतर्गत आता है।
- xxi. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, उत्पाद के वाणिज्यिक आयातकों में तेल क्षेत्र के ऑपरेटर शामिल हैं जो बड़ी और विनियमित कंपनियां हैं और उनके द्वारा गलत घोषणा और शुल्क की प्रवंचना की केवल दूरस्थ संभावना है।

ग.2 घरेलू उद्योग और इंडियन स्टेनलेस सीमलेस पाइप्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग और इंडियन स्टेनलेस सीमलेस पाइप्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. संबद्ध उत्पाद एक स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब है और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।
 - ii. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा थ्रेडेड और गैर-थ्रेडेड उत्पाद के बीच अंतर नहीं करती है। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र स्पष्ट है और इसमें थ्रेडेड और बिना थ्रेडेड दोनों उत्पाद शामिल हैं।
 - iii. मूल जांच में जांच शुरुआत अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से पता चलता है कि उत्पाद का उपयोग तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, इस प्रकार, संबद्ध उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल किया गया है।
 - iv. जिंदल साँ लिमिटेड 2020-21 अर्थात् मूल जांच की जांचावधि से संबद्ध उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कर रहा है, इसके अतिरिक्त, जिंदल साँ लिमिटेड ने 2025-26 तक लगातार संबद्ध सामानों का उत्पादन और बिक्री की है।
 - v. जिंदल साँ लिमिटेड को 2019 में हंटिंग पीएलसी से सील लॉक एक्सडी थ्रेडिंग प्रक्रिया शुरू करने का लाइसेंस मिला था, जो मूल जांच की जांच की अवधि से पहले का है।
 - vi. संबद्ध उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जाता है और इसकी मालसूची नहीं रखी जाती है। इस उत्पाद का जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा उत्पादन प्राप्त आदेशों के आधार पर किया गया है।
 - vii. आवेदक यह दर्शाने में विफल रहा है कि संबद्ध उत्पाद की मांग घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की तुलना में विगत में अधिक थी।
 - viii. ओएनजीसी संबंधित उत्पाद का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसने लगातार भारतीय उद्योग से संबंधित उत्पाद खरीदा है। ओएनजीसी ने संबंधित उत्पाद का बिल्कुल भी आयात नहीं किया है।
 - ix. भारतीय उद्योग ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी बेचा है।
 - x. घरेलू उद्योग द्वारा जारी विवरणिका से पता चलता है कि उत्पाद भारत में पेश किया जा रहा है।
 - xi. घरेलू उद्योग ने संबद्ध उत्पाद आवेदक को भी पेश किया है। तथापि, आवेदक ने जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया है और इसके बजाय उक्त उत्पाद को संबद्ध देश से आयात करने का विकल्प चुना है।
 - xii. वर्तमान अवधि में भी, जिंदल साँ लिमिटेड के पास संबद्ध उत्पाद के लिए खरीद आदेश है।
 - xiii. मौखिक सुनवाई के दौरान वेदांता ने बैठक के कुछ कार्यवृत्त पर भरोसा किया था, लेकिन घरेलू उद्योग के साथ इसे साझा करने में विफल रहा था।
 - xiv. सील लॉक एक्सडी पाइपों के निर्माण के लिए कोई उत्पादन प्रक्रिया नहीं है और यह केवल थ्रेडिंग प्रक्रिया है। यहां तक कि ओसीटीजी पाइप भी गर्म बहिर्वेधन या गर्म छेद प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं; और इसलिए, संबद्ध उत्पाद और विचाराधीन उत्पाद की मूल उत्पादन प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है।
 - xv. भारतीय उद्योग द्वारा भी आवेदक द्वारा बताई गई प्रक्रिया का उपयोग करके थ्रेडिंग की जा रही है।
 - xvi. जबकि आवेदक ने मौखिक सुनवाई में अनुरोध किया कि थ्रेडिंग जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा चीनी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में की जा रही है, यह गलत है। जिंदल साँ लिमिटेड का हंटिंग पीएलसी के साथ एक संयुक्त उद्यम है जो एक अमेरिकी कंपनी है।
 - xvii. आवेदक के अनुरोध के विपरीत, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए देश में केवल एक ही उत्पादक है और जिनकी डीजीटीआर ने सिफारिश की है और वित्त मंत्रालय ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है। इसके अलावा,

- संबद्ध उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों में से केवल एक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक हैं।
- xviii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार नहीं बनता है और भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, प्रयोक्ता उचित कीमतों पर उत्पाद का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, प्रत्येक भारतीय उत्पादक पर विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक ग्रेड की आपूर्ति करने का कोई दायित्व नहीं है।
- xx. आवेदक ने स्वयं दस्तावेज़ आधारित अनुरोध किए हैं जो दिखाते हैं कि ओएनजीसी द्वारा संबद्ध उत्पाद की खरीद के लिए छूट के लिए दायर अनुरोध को भारत में घरेलू क्षमता की उपलब्धता के कारण डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के दौरान वापस ले लिया गया था।
- xxi. आवेदक द्वारा प्रस्तुत कुछ कार्यवृत्त स्टेनलेस स्टील से नहीं बने उत्पादों के लिए हैं, लेकिन कार्बन स्टील के उत्पादों के लिए हैं।
- xxii. आवेदक के अनुरोधों के विपरीत, अमेरिकी जांच प्राधिकारी के निर्णय का भारतीय पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विचाराधीन उत्पाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और प्रत्येक जांच में अलग-अलग निर्णय लिया जाता है।
- xxiii. चूंकि संबद्ध उत्पाद भारत में उपलब्ध है, इसलिए वृद्धिशील प्रक्रिया के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- xxiv. वर्तमान नियम 23 के तहत एक समीक्षा है और प्राधिकारी मूल जांच के समय लिए गए निर्णय की शुद्धता की पुनः जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्राधिकारी इस स्तर पर कार्यवाहक हो गये है और अपने स्वयं के अंतिम जांच परिणामों पर दोबारा विचार नहीं कर सकते हैं। चूंकि वर्तमान समीक्षा नियम 23 के तहत है, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर अनुरोध की जांच कर सकते हैं और क्या उत्पाद वर्तमान अवधि के दौरान भारत में उत्पादित किया जा रहा है, इसकी जांच कर सकते हैं।
- xxv. नियम 23 के तहत उत्पाद क्षेत्र के स्पष्टीकरण का अनुरोध बनाए रखने योग्य नहीं है और नियम 23 के तहत स्पष्टीकरण अनुरोध के आधार पर उत्पाद ग्रेड को बाहर नहीं किया जा सकता है। नियम 23 के तहत आवेदन-पत्र दायर करके, आवेदक स्वयं स्वीकार करता है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल है।
- xxvi. आवेदक यह दर्शाने में विफल रहा है कि स्थायी प्रकृति की कोई बदली हुई परिस्थितियां हैं जिसके कारण संबद्ध उत्पाद को बाहर करने की आवश्यकता है।
- xxvii. वेदांता द्वारा बंदरगाह पर पहले से ही शिपमेंट के लिए मंजूरी लेने के लिए वर्तमान आवेदन-पत्र दायर किया गया है। इस्पात मंत्रालय ने आयात की आवश्यकता पर सवाल उठाया है, जब ऐसा उत्पाद उपलब्ध था और घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा था। प्राधिकारी इस्पात मंत्रालय से इनपुट मांग सकते हैं।
- xxviii. केवल इसलिए कि संबंधित उत्पाद की कीमत अधिक है, यह पाटन के अभाव को सिद्ध नहीं करता है।
- xxix. संबंधित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा केवल 1.1% है।
- xxx. संबंधित उत्पाद के नाम में किसी को भी हटाने से व्यापक दुरुपयोग और लागू पाटनरोधी शुल्क से बचने की संभावना है। आयातकों द्वारा उत्पाद के नाम के तहत उत्पाद का आयात किया जा सकता है।
- xxxi. आवेदक के अनुरोध के विपरीत, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एचएस कोड को 4-अंकीय स्तर पर, यानी 7304 पर विचार किया था। इसलिए, संबद्ध उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने के समय विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार किया।
 - “3. विचाराधीन उत्पाद 6 इंच तक के और उसके सहित व्यास वाले स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स हैं, चाहे वे हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित हों या हॉट फिनिश या कोल्ड फिनिश पाइप और ट्यूब के रूप में बेचे जाते हों, जिसमें दोषपूर्ण, गैर-प्राइम या माध्यमिक ग्रेड के रूप में आयातित संबद्ध सामान शामिल हैं।
 4. स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब्स एंड पाइप्स का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए और तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल और गैस से संबद्ध अनुप्रयोगों में किया जाता है; पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी; परमाणु ऊर्जा; परमाणु और थर्मल पावर सहित बिजली जनरेटर; और एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में।
 5. विचाराधीन उत्पाद को या तो हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जा सकता है, जिसे क्रॉस रोल पियर्सर प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग करके निर्मित उत्पाद शामिल हैं।
 6. विचाराधीन उत्पाद प्रशुल्क शीर्ष 7304 के तहत अध्याय 73 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”
8. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की मध्यावधि समीक्षा के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है और स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि एचईएसपीएल द्वारा पेटेंट सील-लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित प्रीमियम थ्रेडिंग के साथ "केसिंग और ट्यूबिंग (जिसे बाजार में ओसीटीजी के रूप में जाना जाता है)" विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि इस तरह के उत्पाद का विनिर्माण भारत में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है और उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया और अंतिम उपयोग मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद से अलग है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में सभी पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों को नोट किया है और तदनुसार निम्नलिखित की जांच की है।
9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सील लॉक एक्सडी जो हंटिंग पीएलसी द्वारा पेटेंट कराई गई एक प्रक्रिया है, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान विचाराधीन उत्पाद पर थ्रेडिंग करने की एक प्रक्रिया है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप उक्त प्रक्रिया का उपयोग करके नहीं बनाए जाते हैं। सभी स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइप या तो हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा, यह विचाराधीन उत्पाद बनाने के लिए प्राथमिक उत्पादन प्रक्रिया है। इसके बाद, थ्रेडिंग प्रक्रिया की जाती है, जो सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया या किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग करके की जा सकती है। इस प्रकार, यह अनुरोध कि संबद्ध उत्पाद स्वयं सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया गया है, उपयुक्त नहीं है।
10. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मूल जांच में परिभाषित किए गए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र थ्रेडेड और गैर-थ्रेडेड उत्पाद के बीच अंतर नहीं करता है। इसके अलावा, संबद्ध उत्पाद एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप है जो या तो हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया या हॉट पियर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग करके निर्मित किया जाता है और विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है। आवेदक ने इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में संबद्ध उत्पाद शामिल नहीं है। आवेदक द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि इस उत्पाद को मूल जांच की जांच की अवधि में आयात किया गया था, न ही यह दर्शाया गया है कि भारतीय उद्योग द्वारा इस तरह की समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि मूल जांच की जांचावधि के दौरान इस प्रकार का कोई आयात नहीं था।
11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग उक्त उत्पाद का भारत में निर्माण नहीं करता है और मूल जांच की जांचावधि में संबंधित उत्पाद का कोई विनिर्माण नहीं था। हालाँकि, रिकॉर्ड पर मौजूद आँकड़े दर्शाते हैं कि जिंदल साँ लिमिटेड ने 2020-21 अर्थात् मूल जांच की जांचावधि से लगातार भारत में संबद्ध उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है।

वर्ष	इकाई	उत्पादन	घरेलू बिक्री
2020-21	एमटी	***	***
2020-21	सूचीबद्ध	100	100
2021-22	एमटी	***	***
2021-22	सूचीबद्ध	85	85
2022-23	एमटी	***	***
2022-23	सूचीबद्ध	29	29
2023-24	एमटी	***	***
2023-24	सूचीबद्ध	664	664
2024-25	एमटी	***	***
2024-25	सूचीबद्ध	1043	1043

(स्रोत: घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध)

12. घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध किया है कि वह उत्पाद का उत्पादन करने के लिए आवेदक द्वारा अपेक्षित तकनीकी योग्यता और क्षमता रखता है। कंपनी के पास उसी कंपनी से थ्रेडिंग करने का लाइसेंस भी है जिसका उल्लेख आवेदक द्वारा किया गया है, और आवेदक द्वारा बताए गए समान प्रक्रिया का उपयोग करके थ्रेडिंग करती है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि थ्रेडिंग प्राथमिक उत्पादन प्रक्रिया नहीं है और पाइपों के उत्पादन के बाद केवल एक वृद्धिशील उत्पादन प्रक्रिया है।
13. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि भारत में उत्पाद की आपूर्ति की कमी है और जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा केवल सीमित मात्रा में आपूर्ति की जा रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध उत्पाद का निर्माण ऑर्डर के आधार पर किया जाता है और इसे मालसूची के रूप में निर्मित और भंडारित नहीं किया जाता है।
14. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के दो अन्य उपभोक्ता हैं, अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल)। ओएनजीसी भारत में संबद्ध उत्पाद की सबसे बड़ी खरीदार है, और केवल एक उपभोक्ता, अर्थात् वेदांता ने वर्तमान आवेदन-पत्र दायर किया है।
15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि संबंधित उत्पाद के लिए अंतिम आवेदन-पत्र मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद से अलग है क्योंकि इसका उपयोग तेल और गैस उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच की जांच की शुरुआत अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लेख किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग संरचनात्मक उद्देश्यों के साथ-साथ तेल और गैस से संबंधित अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस प्रकार, मूल जांच के समय विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किए गए आवेदनों और संबंधित उत्पाद के लिए आवेदक द्वारा सूचीबद्ध अनुप्रयोगों के बीच कोई अंतर नहीं है।

“4. स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए और तरल पदार्थों और गैसों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल और गैसों से

संबंधित अनुप्रयोगों में किया जाता है; पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरी; परमाणु ऊर्जा; परमाणु और थर्मल पावर सहित बिजली जनरेटर; और एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों में।”

16. इस अनुरोध के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संबंधित उत्पाद को शामिल करने से भारत में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि भारत में संबंधित उत्पाद का केवल एक ही उत्पादक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से एकाधिकार की स्थिति नहीं आती है क्योंकि यह भारत में आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है। पाटनरोधी शुल्क केवल यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद को उचित कीमतों पर भारत में आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, संबंधित उत्पाद केवल विचाराधीन उत्पाद का एक ग्रेड है और भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक हैं। किसी भी दशा में, यदि जिंदल साँ लिमिटेड एकाधिकारवादी परिपाटियों में लिप्त रहता है, तो आवेदक संगत कानूनों और नियमों के तहत उचित अधिकारियों तक जा सकता है।
17. जहां तक इस अनुरोध का संबंध है कि ओएनजीसी और उत्पाद के अन्य खरीदारों ने भारत में आपूर्ति की कमी के कारण उत्पाद की खरीद के लिए छूट मांगी थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के दौरान ओएनजीसी द्वारा इस तरह के अनुरोध को वापस ले लिया गया था। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि ओएनजीसी ने वास्तव में जिंदल साँ लिमिटेड से संबंधित उत्पाद खरीदा है।
18. वेदांता द्वारा प्रस्तुत 15 अप्रैल 2024 की डीएमआई एंड एसपी नीति के तहत स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि चर्चा 11-3/4" ओडी साइज, एन-80, 60 पीपीएफ फ्लश ज्वाइंट; एचपीएचटी अनुप्रयोग के लिए 7" पी-110, 35 पीपीएफ; और एचपीएचटी अनुप्रयोग के लिए 7" ओडी साइज क्यू 125 35 पीपीएफ के संबंध में आयोजित की गई थी। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसे उत्पाद स्टेनलेस-स्टील ट्यूब और पाइप नहीं हैं, बल्कि कार्बन स्टील से बने ट्यूब और पाइप हैं।
19. जहां तक इस तथ्य का संबंध है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद की तुलना में अधिक कीमत वाला उत्पाद है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के कई ग्रेड हैं जिनमें अलग-अलग लागत और कीमत शामिल हैं। प्राधिकारी ने मूल जांच में इस उद्देश्य के लिए एक पीसीएन पद्धति तैयार की थी। केवल इसलिए क्योंकि एक उत्पाद ग्रेड भारत में आयातों की औसत कीमत से अधिक कीमत वाला है, का अर्थ यह नहीं है कि उसका भारत में पाटन नहीं किया जा रहा है।
20. आवेदक ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के लिए 6-अंकीय स्तर पर संबंधित उत्पाद का एचएस कोड 6-अंकीय स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के एचएस कोड से अलग है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न एचएस कोड के तहत आयात किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, पाटनरोधी शुल्क 4-अंकों के स्तर पर लगाया गया है। संबंधित उत्पाद के लिए एचएस कोड के साथ कवर किया गया है जिसमें पाटनरोधी शुल्क शामिल है।
21. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों के साथ लाइसेंस भी संलग्न किए हैं, जो दर्शाते हैं कि जांच की अवधि के दौरान लाइसेंस उनके पास था। वेदांता लिमिटेड द्वारा आयात किए जा रहे उत्पाद के समान उत्पाद का निर्माण और आपूर्ति भारत में जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा श्रेडिंग प्रक्रिया के लिए हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस प्राप्त करके की जा रही है। इस लाइसेंस की एक प्रति भी जमा कर दी गई है। ऐसे मामले में, जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान हैं।
22. उपरोक्त जांच और रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि मूल जांच में निर्धारित किए गए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबद्ध उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के भीतर शामिल किया गया है।

घ. प्रकटन-पश्चात् टिप्पणियाँ

घ.1 आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध

23. आवेदक ने मूल जाँच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, संबंधित उत्पाद के अंतिम उपयोग, विनिर्माण प्रक्रिया, संबंधित उत्पाद के उच्चतर लैंडेड मूल्य, मूल जाँच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के विनिर्माण के अभाव, संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकी एवं लाइसेंस के अभाव तथा एचएस कोड में अंतर के संबंध में अपनी प्रस्तुतियों को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, अन्य आवेदक ने प्रकटन कथन जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
- i. सील लॉक एक्सडी संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि श्रेडिंग विचाराधीन उत्पाद के सीलिंग निष्पादन को बढ़ाती है, जिससे वह ड्रिलिंग प्रचालनों में उच्च दाब सहन करने में सक्षम हो जाता है।
 - ii. संबंधित उत्पाद को सामान्य स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता तथा संपूर्ण तेल एवं गैस उद्योग निष्कर्षण के लिए संबंधित उत्पाद पर निर्भर है।
 - iii. जहाँ विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेल एवं गैस के परिवहन के लिए किया जाता है, वहीं संबंधित उत्पाद का उपयोग उनके निष्कर्षण के लिए किया जाता है। अतः संबंधित उत्पाद के उपयोग में अंतर है।
 - iv. श्रेडिंग प्रक्रिया, जो अंतिम उत्पाद की पहचान एवं विशेषताओं को बदल देती है, के कारण संबंधित उत्पाद तकनीकी रूप से विचाराधीन उत्पाद द्वारा प्रतिस्थापनीय नहीं है।
 - v. संबंधित उत्पाद के लिए विनिर्माण सुविधा जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 के पश्चात् आरंभ की गई थी।
 - vi. अमेरिकी प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद और संबंधित उत्पाद के आयात पर पृथक्-पृथक् डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किया था।
 - vii. मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की नगण्य मात्रा भारत में आयात की गई थी और ऐसी मात्राओं को घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुँचाने वाला नहीं माना जा सकता।
 - viii. प्राधिकरण का यह अवलोकन कि उक्त उत्पाद मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान आयात नहीं किया गया था, यह दर्शाता है कि ऐसे उत्पाद प्रकार द्वारा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती।
 - ix. जिंदल साँ लिमिटेड ने आवेदक द्वारा 2022 में जारी वैश्विक निविदा में भाग नहीं लिया क्योंकि उसके पास इसके विनिर्माण की क्षमता नहीं थी।
 - x. सितंबर 2023 से पूर्व उक्त उत्पाद की आपूर्ति के संबंध में जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचना तथ्यात्मक रूप से गलत है और संबंधित उत्पाद से संबद्ध नहीं है।
 - xi. प्रकटन कथन में दिया गया आँकड़ा सूचकांकित है और इससे जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई मात्राओं तथा यह कि ऐसी मात्राएँ सील लॉक एक्सडी श्रेडिंग से संबंधित हैं अथवा सामान्य रूप से केसिंग एवं ट्यूबिंग से, का कोई बोध नहीं होता। प्रवृत्ति जाँच अवधि के पश्चात् उत्पादन एवं बिक्री में गिरावट दर्शाती है।
 - xii. प्राधिकरण ने 2017-19 के दौरान संबंधित उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री का विश्लेषण नहीं किया है, जो वास्तविक क्षति अवधि है।

- xiii. प्राधिकरण ने मूल डंपिंग रोधी जाँच के दौरान घरेलू उद्योग को हुई क्षति और संबंधित उत्पाद के आयात के बीच कोई कारण संबंध स्थापित नहीं किया। तदनुसार, संबंधित उत्पाद पर कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता।
- xiv. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए जाने वाले उत्पाद को घरेलू उद्योग के दायरे से अपवर्जित करना प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा है।
- xv. प्राधिकरण पूर्ववर्ती जाँचों की भाँति संबंधित उत्पाद के आयात के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता आधारित छूट प्रदान कर सकता है।
- xvi. वर्तमान मामला लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच के समान है, जिसमें प्राधिकरण ने वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों पर उत्पाद प्रकार के आयात के लिए छूट प्रदान की थी।

घ.2 घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग और भारतीय स्टेनलेस सीमलेस पाइप विनिर्माता संघ ने प्रकटन कथन जारी होने के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रस्तुतियाँ की हैं:
- I. यह डंपिंग रोधी शुल्क के अधिरोपण का मामला नहीं है। डंपिंग रोधी शुल्क पहले से ही प्रवृत्त है और आवेदक जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा सृजित किसी एकाधिकार को प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है।
 - II. भारतीय उद्योग के पास श्रेडिंग हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस है और उसने घरेलू बाजार में समरूप उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति की है।
 - III. हंटिंग पीएलसी द्वारा पेटेंटकृत सील लॉक एक्सडी प्रक्रिया से की गई श्रेडिंग वाले उत्पाद के उपयोग की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। श्रेडिंग प्रक्रिया प्रदान करने वाले अनेक भिन्न ब्रांड हैं और ऐसी श्रेडिंग वाले उत्पाद का उपयोग भी आवेदक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
 - IV. ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदन वेदांता द्वारा मुख्यतः बंदरगाह पर वर्तमान में रोके गए संबंधित उत्पाद की एक खेप की निकासी प्राप्त करने के लिए दायर किया गया है, क्योंकि इस्पात मंत्रालय ने ऐसे आयातों पर प्रश्न उठाए हैं।
 - V. संबंधित उत्पाद पर डंपिंग रोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है, जो यह दर्शाता है कि आवेदन केवल एक सीमा शुल्क संबंधी मुद्दे के कारण दायर किया गया है।
 - VI. संबंधित उत्पाद के नाम पर कोई भी अपवर्जन प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के व्यापक अपवंचन की ओर ले जाने की संभावना रखता है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

25. प्राधिकरण ने आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रकटन-पश्चात् प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है और नोट करता है कि अनेक प्रस्तुतियाँ पुनरावृत्तियाँ हैं जिनका पहले ही समुचित रूप से परीक्षण किया जा चुका है और अंतिम निष्कर्षों के संबंधित पैराग्राफों में पर्याप्त रूप से समाधान किया जा चुका है। आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन-पश्चात् टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में उठाए गए मुद्दे जो प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक माने गए हैं, का परीक्षण नीचे किया गया है।

26. इस प्रस्तुति के संबंध में कि सील लॉक एक्सडी संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु एक आवश्यक प्रक्रिया है, प्राधिकरण पहले ही नोट कर चुका है कि उत्पाद हॉट पियर्सिंग अथवा हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है। थ्रेडिंग प्रक्रिया केवल एक वर्धी (इंक्रिमेंटल) प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, भारतीय उद्योग के पास लाइसेंस हैं और वह घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद (सील लॉक एक्सडी थ्रेडिंग सहित) की निरंतर आपूर्ति करता रहा है। अतः भारतीय उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में समरूप वस्तु की आपूर्ति की जा रही है।
27. इस प्रस्तुति के संबंध में कि थ्रेडिंग प्रक्रिया उत्पाद की पहचान के साथ-साथ उपयोग को भी बदल देती है, प्राधिकरण नोट करता है कि चूंकि उक्त उत्पाद का उत्पादन एवं आपूर्ति भारतीय उद्योग द्वारा की जा रही है और वही मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अतः वर्धी प्रक्रिया के आधार पर उपयोग में परिवर्तन विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन को न्यायोचित नहीं ठहराता।
28. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित उत्पाद के लिए विनिर्माण सुविधा जिंदल साँ लिमिटेड द्वारा सितंबर 2023 में, अर्थात् मूल जाँच की जाँच अवधि के पश्चात्, आरंभ की गई थी। प्राधिकरण नोट करता है कि जिंदल साँ लिमिटेड के पास मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस था। जिंदल साँ लिमिटेड ने मूल जाँच की जाँच अवधि के दौरान भी संबंधित उत्पाद का विनिर्माण एवं आपूर्ति की थी।
29. इन प्रस्तुतियों के संबंध में कि मूल जाँच की जाँच अवधि में संबंधित उत्पाद के नगण्य / शून्य आयात यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँचाई गई, प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का मात्र एक ग्रेड है। क्षति का परीक्षण विचाराधीन उत्पाद के आयात के आधार पर किया जाता है, न कि विचाराधीन उत्पाद के ग्रेडों के आधार पर। प्राधिकरण ने मूल डंपिंग रोधी जाँच में विस्तृत पीसीएन-वार परीक्षण किया था और यह माना था कि विषय आयातों की डंपिंग ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश की गई और अधिरोपित किया गया। डंपिंग रोधी जाँच में क्षति एवं कारण संबंध का पृथक् ग्रेड-वार विश्लेषण नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त, यह प्राधिकरण की सुसंगत प्रथा है कि भारत में आयात न किए गए उत्पाद प्रकार को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित नहीं किया जा सकता।
30. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि जारी किए गए प्रकटन कथन में दिया गया आँकड़ा सूचकांकित है। प्राधिकरण नोट करता है कि ऐसा आँकड़ा घरेलू उद्योग की व्यावसायिक स्वामित्वाधीन सूचना है और इसके प्रकटन से घरेलू उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तदनुसार, आँकड़ा सूचकांकित आधार पर साझा किया गया है।

31. इस प्रस्तुति के संबंध में कि प्राधिकरण ने 2017-2019 के दौरान, जो मूल जाँच की क्षति अवधि थी, संबंधित उत्पाद के उत्पादन एवं बिक्री का परीक्षण नहीं किया, प्राधिकरण नोट करता है कि इस अवधि के दौरान ऐसे उत्पाद के आयात का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा समरूप वस्तु के उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी स्थिति में, एक बार जब प्राधिकरण ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने वर्तमान अवधि एवं मूल जाँच अवधि में समरूप वस्तु का उत्पादन किया है, तो यह प्रासंगिक नहीं है कि उद्योग अन्य अवधियों में उत्पादन कर रहा था या नहीं। जाँच के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि उत्पाद मूल जाँच के उत्पाद दायरे में सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान अवधि में विद्यमान तथ्यों के आधार पर उत्पाद के अपवर्जन का कोई औचित्य नहीं है।
32. आवेदक ने संबंधित उत्पाद के लिए वास्तविक उपयोगकर्ता आधारित छूट का अनुरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला लो एश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच के समान है। प्राधिकरण नोट करता है कि लो एश मेटलर्जिकल कोक के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जाँच में घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया था कि वह वाणिज्यिक कारणों से फेरोअलॉय उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक उत्पाद प्रकार का विनिर्माण नहीं करता और तदनुसार उसके अपवर्जन के लिए सहमत हुआ था। तथापि, वर्तमान जाँच में, घरेलू उद्योग ने भारतीय बाजार में संबंधित उत्पाद का विनिर्माण एवं आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने स्वयं स्वीकार किया है कि जिंदल साँ लिमिटेड के पास संबंधित उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्पादन सुविधाएँ हैं और हंटिंग पीएलसी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। ऐसी स्थिति में, वर्तमान जाँच में वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के आधार पर अपवर्जन न्यायोचित नहीं है।
33. इस प्रस्तुति के संबंध में कि संबंधित उत्पाद का अपवर्जन प्रवृत्त डंपिंग रोधी शुल्क के अपवंचन की ओर ले जाएगा, प्राधिकरण नोट करता है कि चूँकि संबंधित उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित नहीं किया गया है, अतः शुल्कों के अपवंचन के संबंध में कोई चिंता नहीं हो सकती।

ड. निष्कर्ष और सिफारिशें

34. समस्त आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उनमें उठाए गए मुद्दों का परीक्षण करने के पश्चात्; तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण निष्कर्ष निकालता है कि:
- मूल जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का दायरा श्रेडेड और बिना श्रेड वाले उत्पाद के बीच भेद नहीं करता।
 - संबंधित उत्पाद हॉट पियर्सिंग अथवा हॉट एक्सट्रूजन प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है, और अतः वही विचाराधीन उत्पाद के दायरे में सम्मिलित है।
 - घरेलू उद्योग ने मूल जाँच की जाँच अवधि के साथ-साथ वर्तमान अवधि में भी घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद का उत्पादन एवं बिक्री की है।

- iv. घरेलू उत्पादक के पास श्रेडिंग हेतु हंटिंग पीएलसी से लाइसेंस है और उसने भारत में आयातित वस्तु के समरूप वस्तु का उत्पादन किया है।
- v. मूल जाँच के समय विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार किए गए अनुप्रयोगों और आवेदक द्वारा संबंधित उत्पाद के लिए सूचीबद्ध अनुप्रयोगों के बीच कोई अंतर नहीं है।
- vi. संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद का मात्र एक उत्पाद प्रकार है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के अनेक उत्पादक हैं।
- vii. मात्र इसलिए कि एक उत्पाद ग्रेड का मूल्य भारत में आयातों के औसत मूल्य से अधिक है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वही भारत में डंप नहीं किया जा रहा है।
- viii. संबंधित उत्पाद से संबंधित एचएस कोड पहले से ही उन एचएस कोडों में सम्मिलित है जिन पर डंपिंग रोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।
- ix. मूल जाँच में विचार किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है और संबंधित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत आच्छादित है।

ड. आगे की कार्रवाई

35. इस अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार , निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 24th June, 2026

Case No. AD (MTR)-03/2025

Subject: Final Findings in the Mid-Term Review limited to the product scope of anti-dumping duty imposed on Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes originating in or exported from China PR.

F. No. 7/13/2025-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (“AD Rules, 1995” or the “AD Rules” or the “Rules”).

A BACKGROUND OF THE CASE

2. M/s Vedanta Limited (hereinafter also referred to as the “Petitioner” or “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of mid-term review investigation limited to examine the scope of product under consideration as defined *vide* Notification No. 6/13/2021-DGTR dated 23.09.2022, to clarify that Casting & Tubing with premium threading (known as OCTG in market parlance) manufactured by using "Seal-Lock XD" process patented by HESPL (Hunting Energy Services Pte. Ltd.) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) is not covered within the scope of the product under consideration.
3. And whereas *vide* Notification No. 6/13/2021-DGTR dated 23.09.2022 recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of “Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes with diameter up to and including 6 NPS, or comparable thereof in other unit of measurement, whether manufactured using hot extrusion process or hot piercing process and whether sold as hot finished or cold finished pipes and tubes, including subject goods imported in the form of defectives, non-prime or secondary grades” (hereinafter also referred to as the “subject goods”) originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government *vide* Notification No. 31/2022-customs (ADD) dated 20.12.2022.
4. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice *vide* Notification No. 7/13/2025-DGTR dated 26th June 2025, published in the Gazette of India, initiating a mid-term review of anti-dumping duty imposed on imports of Stainless-Steel Seamless Tubes and Pipes originating in or exported from the subject country, limited to re-determination / clarification on product scope, in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 23 of the AD Rules, 1995.

B PROCEDURE

5. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority issued a public notice dated 26th June, 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - b. The Authority informed the Embassy of China PR in India about the initiation of the subject investigation requesting them to inform concerned exporters/producers about the same.
 - c. The Authority made available copies of the non-confidential petition to the domestic industry in the original investigation.
 - d. The Authority also circulated copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant with the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995.
 - e. Since the petition is for a limited purpose of exclusion of a certain type of product under consideration, the Authority is not required to evaluate the quantum of dumping and injury, therefore, stipulation of POI is not required.

- f. The Authority examined the information furnished by the applicant and the domestic industry to the extent possible to verify the claims made by the applicant. Further information was sought from the applicant and the domestic industry to the extent deemed necessary. Verification of the data and claims of the applicant was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- g. Verification of data and claims of the domestic industry was also carried out to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- h. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in an oral hearing held on 11th August, 2025. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- i. In accordance with the Rules, the Authority disclosed the essential facts of the case that would form the basis of its findings in the form of a disclosure statement on 14th November 2025 and the interested parties were allowed time up to 21st November 2025 to comment on the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.
- j. Due to change in the Designated Authority, a fresh oral hearing was conducted on 10th March 2026. The parties, which presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- k. The essential facts of the investigation gathered by the Authority during the present investigation and analysed by the Authority were disclosed to the interested parties in order to enable them to offer their comments on these facts.
- l. ‘***’ in the final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions made by the applicant

5. The submissions made by the Applicant are as follows:

- i. The original investigation covered only seamless stainless pipes and tubes made by hot extrusion or piercing and not OCTG pipes made with the SEAL Lock XD (SLXD) process.
- ii. Threading is a critical process as it increases the sealing ability and resistance to high pressure and corrosion faced in drilling. Due to this, the product concerned is imported as per specific requirement for cut size and dimensions etc.
- iii. The product concerned differ from products covered by the original investigation in terms of price, physical characteristics, manufacturing process and technology, functions, end-uses and technical specifications, and are neither technically nor commercially substitutable from the consumer’s perspective.
- iv. Commercial orders to Jindal SAW Limited (JSL) were placed post the period of investigation in 2022. During the period of investigation of the original anti-dumping investigation, there was no domestic manufacturer of the product concerned.
- v. The inclusion of OCTG, which was not produced domestically during the period of investigation, to the product scope would create a monopoly for Jindal SAW Limited which is the only local producer.

- vi. Jindal SAW Limited did not have the license or API Certification during the period of investigation of the original investigation to produce OCTG with SLXD. The responses from Chandan Steel and Tubacex Prakash show that OCTG was not offered domestically until 2022 and differs from stainless steel seamless pipes and tubes.
- vii. There is no proven commercial availability of the product during 2017 to 2021. The only domestic licence for the Seal-Lock threading process was obtained in March–April 2022, that is, after the period of investigation of the original investigation. Thus, the product could not have formed part of the original product scope. This shows that the domestic producers received license post POI which shows changed circumstance.
- viii. Commercial records submitted by JSW only show indexed values and lack proof of production for the period before 2022. Further, the production data filed by JSW pertains to casing and tubing of steel tubes and pipes, not specifically to casing and tubing with premium-threading OCTG using Seal-Lock XD process.
- ix. Domestic production and sales of premium-threaded products by Jindal was 100 MT in 2020-21, 85 MT in 2021-22 and 29 MT in 2022-23. Further, the findings in the original investigation shows that there is no data for the previous years, 2017–2020. Thus, the segment was commercially nascent and absent from the original investigation. The product concerned was not commercially ready or technically interchangeable with the imported product, and under the CESTAT decision in Oxo Alcohols Industries' Association v. Designated Authority, the non-interchangeable product cannot be treated as dumped product.
- x. There are scale constraints and only limited supply of the product concerned by Jindal Saw Limited. There is a need for commercial supply of the product in order for inclusion of the same in the scope of the product under consideration.
- xi. Jindal Saw Limited has not applied for the global tender floated by Vedanta in 2022 which shows supply constraints.
- xii. Paragraph 128 of the Final Findings in the original investigation records the landing value of the subject goods at ₹ 2.3 lakh per MT to ₹ 2.84 lakh per MT, whereas the domestic industry stated that the product concerned is priced at ₹ 8 lakh per MT to ₹ 9 lakh per MT. Imports at high price shows product is not dumped and duty cannot be imposed on them.
- xiii. Even after first domestic production ONGC, other buyers sought exemptions for procuring the product concerned due to performance, technical and patent licensing issues. This highlights the supply constraints in India.
- xiv. The United States of America separately define and impose duties on OCTG pipes and standard seamless pipes.
- xv. The SLXD process fundamentally alters the functional capability of the tube. OCTG pipes were not produced during the original period of investigation.
- xvi. Jindal SAW Limited secured a contract to manufacture OCTG pipes post the period of investigation.
- xvii. The claim that ONGC has been a regular and consistent buyer from Indian producers is false. ONGC and OIL procurement records before and during the period of investigation show imports citing non-availability of the required product from domestic sources.
- xviii. The DGTR recommends anti-dumping duties if there exists dumping and injury to the domestic industry. Since the product concerned was not produced in India during the period of investigation no duty should be imposed on the same.
- xix. The inclusion of OCTG within the scope would allow for monopoly by the single domestic producer, this is not the intent of trade remedial measures.
- xx. The HS classification for both products is different. The HS Code for subject goods covered by the original investigation is HS 7304 11, pipe of a kind used for oil and gas pipelines”, while the product concerned falls under HS 7304 22, “casing, tubing and drill pipe, of a kind used in drilling for oil or gas”.

- xxi. Contrary to the submissions of the domestic industry, commercial importers of the product concerned include oil field operators which are large and regulated entities and there are only remote possibility of wrongful declaration and circumvention of duties by them.

C.2. Submissions made by the domestic industry and Indian Stainless Seamless Pipes Manufacturers Association

6. The submissions made by the domestic industry and Indian Stainless Seamless Pipes Manufacturers Association are as follows:
 - i. The product concerned is a stainless-steel pipe and tube and hence, covered under the scope of the product under consideration.
 - ii. The definition of the product under consideration does not distinguish between threaded and non-threaded product. Thus, the scope of the product under consideration is clear and includes both threaded and no threaded products.
 - iii. The definition of the product under consideration as per the initiation notification in the original investigation shows that the product is used to transfer liquids and gases, thus, the product concerned is included within the scope of the product under consideration.
 - iv. Jindal Saw Limited is producing and selling the product concerned since 2020-21, that is, the period of investigation of the original investigation. Further, Jindal Saw Limited has produced and sold the subject goods continuously till 2025-26.
 - v. Jindal Saw Limited received license from Hunting PLC to undertake Seal Lock XD threading process in 2019, that is prior to the period of investigation of the original investigation.
 - vi. The product concerned is not mass produced and inventories of the same are not maintained. The product has been produced by Jindal Saw Limited based on the orders received.
 - vii. The applicant has failed to demonstrate that the demand of the product concerned was higher in the past as compared to the supply by the domestic industry.
 - viii. ONGC is the largest consumer of the product concerned and has continuously bought the product concerned from the Indian industry. ONGC has not imported the product concerned at all.
 - ix. The Indian industry has also sold to Oil India Limited.
 - x. The brochure issued by the domestic industry shows that the product is being offered in India.
 - xi. The domestic industry has offered the product concerned to the applicant as well. However, the applicant has not replied to the offer made by Jindal Saw Limited and instead opted to import the said product from the subject country.
 - xii. Even in the present period, Jindal Saw Limited holds purchase order for the product concerned.
 - xiii. During the oral hearing, Vedanta had relied upon certain minutes of the meeting but failed to share the same with the domestic industry.
 - xiv. Seal Lock XD is not a production process for manufacturing of pipes and is merely a threading process. Even OCTG pipes are manufactured using hot extrusion or hot piercing process; and hence, there is no difference in the basic production process of the product concerned and the product under consideration.
 - xv. Threading is being done by the Indian industry also using the same process as stated by the applicant.

- xvi. While the applicant submitted in the oral hearing that threading is being undertaken by Jindal Saw Limited in a joint venture with Chinese entity, the same is incorrect. Jindal Saw Limited has a joint venture with Hunting PLC which is an American company.
- xvii. Contrary to the submissions of the applicant, there are a number of products for which there is only a single producer in the country and the DGTR has recommended and MOF has imposed anti-dumping duty. Further, product concerned is only one of the grades of the product under consideration. There are multiple producers of the product under consideration in India.
- xviii. Imposition of anti-dumping duty does not lead to monopoly and does not restrict imports into India, the users are free to import the product at fair prices.
- xix. As opposed to the submissions of the other interested parties, there is no obligation on each Indian producer to supply each grade of the product under consideration.
- xx. The applicant itself has submitted documents showing that the request filed by ONGC for exemption for procuring the product concerned was withdrawn during the meeting of the standing committee under DMI&SP Policy due to availability of domestic capacity in India.
- xxi. Certain minutes submitted by the applicant are for the products not made out of stainless steel but for products of carbon steel.
- xxii. Contrary to the submissions by the applicant, the decision of the US investigating authority does not impact the decision of the Authority in the Indian anti-dumping investigation. There is no fixed definition of the product under consideration and the same is decided in each investigation separately.
- xxiii. Since the product concerned is available in India, there is no justification to exclude the same from the scope of the product under consideration based on incremental process.
- xxiv. The present is a review under Rule 23 and the Authority is not re-examining the correctness of the decision taken at the time of original investigation as the Authority has become functus officio at this stage and cannot revisit its own final findings. Since the present review is under rule 23, the Designated Authority can only examine the request on the basis of changed circumstances and whether the product is being produced in India during the present period.
- xxv. Request for clarification of product scope under Rule 23 is not maintainable and a product grade cannot be excluded based on clarification request under Rule 23. By filing an application under Rule 23, the applicant itself admits that the product concerned is included in the scope of the product under consideration.
- xxvi. The applicant has failed to show that there are any changed circumstances of lasting nature due to which there is a need for exclusion of the product concerned.
- xxvii. The present application has been filed by Vedanta to seek clearance for shipment already at port. The Ministry of Steel has questioned on the necessity of imports when such product was available and being produced by the domestic producers. The Authority may seek inputs from Ministry of Steel.
- xxviii. Merely because the price of the product concerned is higher, the same does not establish absence of dumping.
- xxix. The incidence of anti-dumping duty on the product concerned is only 1.1%.
- xxx. Any exclusion in the name of product concerned is likely to lead to widespread abuse and avoidance of anti-dumping duty in force. The importers are likely to import the product under consideration under the name of product concerned.
- xxxi. Contrary to the submissions of the applicant, the Authority had considered HS Code at 4-digit level, that is, 7304 for imposition of anti-dumping duty. Hence, the product concerned is not excluded from the scope of the product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority considered the following scope of the product under consideration at the time of issuance of the final findings in the original investigation.

“3. The product under consideration is stainless-steel seamless tubes and pipes with diameter up to and including 6 inches, whether manufactured using hot extrusion process or hot piercing process and whether sold as hot finished or cold finished pipes and tubes, including subject goods imported in the form of defectives, non-prime or secondary grades.

4. Stainless-steel seamless tubes and pipes are used for structural purposes and to transfer liquids and gases. The product under consideration is used in application relating to oil and gas; petrochemicals and refineries; atomic energy; power generators including nuclear and thermal power; and aerospace and defence applications.

5. The product under consideration can be manufactured using either hot extrusion process or hot piercing process, which is also known as cross roll piercer process. The scope of product under consideration includes product manufactured using both processes.

6. The product under consideration is classified under Chapter 73 under tariff headings 7304. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.”

8. The applicant has filed an application for mid-term review of the scope of the product under consideration and has requested clarification that *“Casing & Tubing with premium threading (known as OCTG in market parlance) manufactured by using Seal-Lock XD process patented by HESPL”* is not included in the scope of the product under consideration. The applicant has further claimed that such product is not being manufactured by the domestic industry in India and the manufacturing process and end use of the product concerned is different from the product under consideration in the original investigation. The Authority has noted the arguments and counter arguments by all parties in the present investigation and accordingly examined the following.
9. The Authority notes that SEAL Lock XD which is a process patented by Hunting PLC, is a process for undertaking threading on the product under consideration during the manufacturing process. Stainless steel tubes and pipes are not manufactured using the said process. All stainless-steel tubes and pipes are manufactured using either hot extrusion process or hot piercing process. Further, this is the primary production process for making product under consideration. Thereafter, threading process is undertaken, which may be done using SEAL Lock XD process or any other process. Thus, the submission that the product concerned is itself manufactured using SEAL Lock XD process is not appropriate.
10. The Authority further notes that the scope of product under consideration as defined in the original investigation does not distinguish between threaded and non-threaded product. Further, the product concerned is a stainless-steel tubes and pipes manufactured using either hot extrusion process or hot piercing process and squarely falls within the definition of the product under consideration. The applicant has not provided any evidence with regard to the fact that the definition of the product under consideration does not include the product concerned. It has not been shown by the applicant that this product was imported in the period of investigation of the original investigation. Nor it has been shown that like article has not been supplied by Indian industry. On the contrary, the domestic industry has submitted that there were no imports of this type during the POI of the original investigations.

11. The applicant has submitted that the domestic industry does not manufacture the said product in India and had no manufacturing of the product concerned in the period of investigation of the original investigation. However, the data on record shows that Jindal Saw Limited has produced and sold the product concerned in India continuously since 2020-21, that is the period of investigation of the original investigation.

Year	Unit	Production	Domestic Sales
2020-21	MT	***	***
2020-21	Indexed	100	100
2021-22	MT	***	***
2021-22	Indexed	85	85
2022-23	MT	***	***
2022-23	Indexed	29	29
2023-24	MT	***	***
2023-24	Indexed	664	664
2024-25	MT	***	***
2024-25	Indexed	1043	1043

(Source: Submissions made by the Domestic Industry)

12. The domestic industry has established that it is holding technical qualifications and capabilities, as required by the applicant, to produce the product. The company also holds the license to do threading from the very same company as has been referred by the applicant, and does threading using the same process as stated by the applicant. The Authority also notes that threading is not the primary production process and is merely an incremental production process after production of pipes.
13. As regard the submission that there are supply constraints of the product concerned in India and only limited quantities are being supplied by Jindal Saw Limited, the Authority notes that the domestic industry has submitted that the product concerned is manufactured based on orders in hand and not manufactured and stored as inventory.
14. The domestic industry has submitted that there are two other consumers of the product concerned namely, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Oil India Limited (OIL). ONGC is the largest buyer of the product concerned in India. And only one consumer, that is, Vedanta has filed the present application.
15. The applicant has submitted that the end application for the product concerned is different from the product under consideration in the original investigation as the same is used for oil and gas purposes. In this regard, the Authority notes that para 4 of the initiation notification of the original investigation states that the product under consideration is used for structural purposes as well as for applications relating to oil and gas. Thus, there is no difference between the applications considered for product under consideration at the time of the original investigation and the applications listed by the applicant for the product concerned.

“4. Stainless-Steel seamless tubes and pipes are used for structural purposes and to transfer liquids and gases. The product under consideration is used in applications relating to oil and gases; petrochemicals and refineries; atomic energy; power generators including nuclear and thermal power; and aerospace and defence applications.”

16. With regard to the submissions that inclusion of product concerned within the scope of the product under consideration will lead to monopoly in India as there is only one producer of the product concerned in India, the Authority notes that imposition of anti-dumping duty does not lead to monopoly as it does not restrict imports into India. Anti-dumping duty only ensures that the product is being imported into India at fair prices. Further, product concerned is merely a grade of the product under consideration and there are multiple producers of the product under consideration in India. In any case, if Jindal Saw Limited engages in monopolistic practices, the applicant may reach to appropriate authorities under the relevant laws and rules.
17. As regard the submissions that ONGC and other buyers of the product concerned sought exemption for procuring the product concerned due to supply constraints in India, the Authority notes that the documents submitted by the applicant shows that such request was withdrawn by ONGC during the meeting of standing committee under DMI&SP Policy. Further, the evidence on record shows that ONGC has actually procured the product concerned from Jindal Saw Limited.
18. With regard to the minutes of meeting of standing committee under DMI&SP Policy dated 15th April 2024, submitted by Vedanta, the Authority notes that the discussion was held on 11-3/4" OD Size, N-80, 60 PPF Flush Joint; 7" P-110, 35 PPF for HPHT application; and 7" OD Size Q 125 35 PPF for HPHT application. The domestic industry has submitted that such products are not stainless-steel tubes and pipes but tubes and pipes which are made out of carbon steel.
19. As regard the fact that the product concerned is a higher priced product than the product under consideration, the Authority notes that there are multiple grades of the product under consideration which entail a different cost and price. The Authority had formulated a PCN methodology for this purpose in the original investigation. Merely because one product grade is priced higher than average price of imports in India, does not mean that the same is not being dumped in India.
20. The applicant has submitted that the HS code for the product concerned at 6-digit level is different from the HS code of the product under consideration at 6-digit level. The Authority notes that the product under consideration is imported under various HS codes and for this purpose, the anti-dumping duty has been imposed at 4-digit level. The HS code for the product concerned is covered with the HS Code which entails the anti-dumping duty.
21. DI has also annexed licences with their written submissions which show that the licence was with them during the period of investigation. The identical product to the product being imported by Vedanta Limited is being manufactured and supplied in India as Jindal SAW Limited holds licences from Hunting PLC for threading process. A copy of this licence has also been submitted. In such a case, the product produced by Jindal SAW Limited is identical to the product being imported from the subject country.
22. In light of the examination made above and the evidence placed on record, the Authority holds that there is no need to change the scope of the product under consideration as determined in the original investigation and the product concerned is included within the definition of the product under consideration.

D. POST DISCLOSURE COMMENTS

D.1 SUBMISSIONS BY THE APPLICANT

23. The applicant has reiterated its submissions regarding scope of product under consideration in the original investigation, end use of product concerned, manufacturing process, higher landed price of the product concerned, lack of manufacturing of product concerned during the original period of investigation, lack of technology and licenses to manufacture product concerned and difference in HS Codes. In addition, the other applicant has made the following submissions post issuance of the disclosure statement:
- i. Seal Lock XD is a critical process to manufacture the product concerned as threading enhances the sealing performance of the product under consideration which makes it capable to withstand high pressure in drilling operations.
 - ii. The product concerned cannot be replaced by regular stainless steel tubes and pipes and entire oil and gas industry relies upon product concerned for extraction.
 - iii. While the product under consideration is used for transporting oil and gas, the product concerned is used for extraction of the same. Hence, there is difference in usage of the product concerned.
 - iv. The product concerned is technically non substitutable by the product under consideration due to threading process which changes the identity and characteristics of the final product.
 - v. The manufacturing facility for the product concerned was started by Jindal Saw Limited post September 2023.
 - vi. The US Authority imposed anti-dumping duty on imports of product under consideration and product concerned separately.
 - vii. Negligible quantity of the product concerned was imported into India during the period of investigation of the original investigation and such quantities cannot be considered to cause any injury to the domestic industry.
 - viii. The observation of the Authority that the said product was not imported during the period of investigation of the original investigation shows that no injury can be inflicted by such product type on the domestic industry.
 - ix. Jindal Saw Limited did not participate in the global tender floated by the applicant in 2022 as it did not have capacity to manufacture the same.
 - x. Information submitted by Jindal Saw Limited regarding supply of the said product prior to September 2023 is factually incorrect and does not correlate to the product concerned.
 - xi. The data provided in the disclosure statement is indexed and does not provide an idea of the quantities produced and supplied by Jindal Saw Limited and whether such quantities pertain to Seal Lock XD threading or casing and tubing in general. The trend shows declining production and sales post the period of investigation.
 - xii. The Authority has not analysed the production and sales of the product concerned during 2017-19 which is the actual injury period.
 - xiii. The Authority did not establish a causal link between the injury to the domestic industry and imports of product concerned during the original anti-dumping investigation. Accordingly, no duties can be imposed on the product concerned.
 - xiv. It is a consistent practice of the Authority to exclude the product not manufactured by the domestic industry from the scope of the domestic industry.
 - xv. The Authority may provide actual user based exemption for imports of the product concerned as done in previous investigations.

- xvi. The present case is similar to the anti-dumping investigation into imports of low ash metallurgical coke where the Authority has provided exemption for imports of product type on actual user conditions.

D.2 SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY AND INDIAN STAINLESS SEAMLESS PIPES MANUFACTURERS ASSOCIATION

24. The domestic industry and Indian Stainless Seamless Pipes Manufacturers Association have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- a. The present is not a case for imposition of anti-dumping duty. The anti-dumping duty is already in force and the applicant has not been able to demonstrate any monopoly created by Jindal Saw Limited.
 - b. The Indian industry holds license from Hunting PLC for threading and has produced and supplied the identical product in the domestic market.
 - c. There is no mandatory requirement for use of the product with threading done by SEAL Lock XD process patented by Hunting PLC. There are number of different brands offering threading process and the product with such threading can also be used to meet the requirements of the applicant.
 - d. The present application appears to have been filed by Vedanta primarily to seek clearance for a shipment of the product concerned currently held at the port as the Ministry of Steel has questioned such imports.
 - e. The incidence of anti-dumping duty on the product concerned is negligible which shows that the application has been filed only due to a Customs issue.
 - f. Any exclusion in the name of product concerned is likely to lead to widespread circumvention of the anti-dumping duty in force.

D.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

25. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the applicant and the domestic industry and notes that a number of submissions are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
26. With regard to the submissions that Seal Lock XD is an essential process to manufacture the product concerned, the Authority has already noted that the product is manufactured using hot piercing or hot extrusion process. Threading process is only an incremental process. Further, as per the evidence on record, the Indian industry holds licenses and has been consistently supplying the product concerned (with Seal Lock XD threading) in the domestic market. Thus, identical article is being supplied in the domestic market by the Indian industry.
27. With regard to the submission that threading process changes the identity as well as use of the product, the Authority notes that since the said product is being produced and supplied by the Indian industry and the same falls within the definition of the product under consideration defined in the original investigation, change in usage based on incremental process does not justify exclusion from the scope of the product under consideration.

28. The applicant has submitted that manufacturing facility for the product concerned was started by Jindal Saw Limited in September 2023, that is, post the period of investigation in the original investigation. The Authority notes that Jindal Saw Limited held license from Hunting PLC for manufacturing of the product concerned during the period of investigation of the original investigation. Jindal Saw Limited manufactured and supplied the product concerned even during the period of investigation of the original investigation.
29. With regard to the submissions that negligible / no imports of the product concerned in the period of investigation of the original investigation shows that no injury was inflicted on the domestic industry, the Authority notes that the product concerned is only a grade of the product under consideration. The injury is examined based on the imports of the product under consideration and not grades of the product under consideration. The Authority conducted detailed PCN wise examination in the original anti-dumping investigation and held that the dumping of subject imports has caused injury to the domestic industry. Accordingly, anti-dumping duty was recommended and imposed on the imports of the product under consideration. A separate grade wise analysis of injury and causal link is not conducted in the anti-dumping investigation. Further, it is a consistent practice of the Authority that a product type not imported into India cannot be excluded from the scope of the product under consideration.
30. The applicant has submitted that the data provided in the disclosure statement issued is indexed. The Authority notes that such data is business proprietary information of the domestic industry and disclosure of the same would cause adverse impact on the domestic producer. Accordingly, the data has been shared on indexed basis.
31. As regard the submission that the Authority has not examined production and sales of the product concerned during 2017-2019 which was the injury period for the original investigation, the Authority notes that there is no evidence of imports of such product during this period. Therefore, the question of domestic industry having produced like article does not arise. In any case, once the Authority has found that the domestic industry has produced like article in the present period and original period of investigation, it is not relevant whether the industry was producing in another periods. The findings from the investigation show that the product was included in the product scope of the original investigation. Further, there is no justifications for exclusion of the product based on facts as existing in the present period.
32. The applicant has requested for actual user based exemption for the product concerned and has submitted that the present case is similar to the anti-dumping investigation into imports of low ash metallurgical coke. The Authority notes that in the anti-dumping investigation into imports of low ash metallurgical coke, the domestic industry had submitted that it does not manufacture a product type used by ferroalloy industry due to commercial considerations and accordingly agreed for exclusion of the same. However, in the present investigation, the domestic industry has manufactured and supplied the product concerned in the Indian market. Further, the applicant itself has acknowledged that Jindal Saw Limited has production facilities to manufacture the product concerned and has a joint venture with Hunting Plc. In such a case, an exclusion based on actual user condition is not justified in the present investigation.
33. With regard to the submission that exclusion of the product concerned will lead to circumvention of anti-dumping duty in force, the Authority notes that since the product concerned has not been excluded from the scope of the product under consideration, there can be no concerns on circumvention of duties.

E. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

34. After examining the submissions made by all the applicant and the domestic industry and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The scope of the product under consideration defined in the original investigation does not distinguish between threaded and non-threaded product.
 - ii. The product concerned is manufactured using hot piercing or hot extrusion process, and hence, the same is included within the scope of the product under consideration.
 - iii. The domestic industry has produced and sold the product concerned in the domestic market in the period of investigation of the original investigation as well as in the current period.
 - iv. The domestic producer holds a license from Hunting PLC for threading and has produced identical article to that imported into India.
 - v. There is no difference between the applications considered for the product under consideration at the time of the original investigation and the applications listed by the applicant for product concerned.
 - vi. Product concerned is only a product type of the product under consideration. There are multiple producers of the product under consideration in India.
 - vii. Merely because one product grade is priced higher than average price of imports in India, does not mean that the same is not being dumped in India.
 - viii. The HS Code pertaining to the product concerned is already included in the HS Codes on which anti-dumping duty has been imposed.
 - ix. There is no need to change the scope of the product under consideration as considered in the original investigation and product concerned is covered within the scope of the product under consideration.

F. FURTHER PROCURE

35. An appeal against the determination/review of the Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority